146/2007 जोगेन्द्र अली - गुलेनवा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
6-12-17	बार-बार आवाज लगाई गई। अपीलांट एवं अपीलांट के वकील कोई हाजिर नहीं आये। अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर